झारखण्ड लोक सेवा आयोग
JHARKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION
उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः

वार्षिक प्रतिवेदन

(वित्तीय वर्ष 2016-2017)

झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची-834001

झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची–834001

भारत का संविधान के अनुच्छेद 323 (2)

के अनुपालन में

झारखण्ड लोक सेवा आयोग का

वार्षिक प्रतिवेदन

(प्रतिवेदन अवधि माह अप्रैल 2016 से माह मार्च 2017 तक)

माननीया राज्यपाल

झारखण्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

प्रस्तावना एवं कृतज्ञता

झारखण्ड लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन भारत का संविधान के अनुच्छेद 323(2) में वर्णित कर्त्तव्यों एवं दायित्वों के अनुपालन में माननीया राज्यपाल, झारखण्ड के समक्ष सहर्ष प्रस्तुत करता है। यह वार्षिक प्रतिवेदन 01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लिए है। प्रतिवेदन में आलोच्य अवधि में आयोग के विभिन्न कृत्यों का सारांश तथ्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करने का यथासंभव प्रयास किया गया है। झारखण्ड लोक सेवा आयोग ने अपने कृत्यों में भारत का संविधान द्वारा प्रदत्त दायित्वों के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा तथा प्रतिबद्धता को कायम रखने हेतु सार्थक प्रयास किया है।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2016 में विभिन्न विभागों के 326 पदों हेतु प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया एवं सिविल जज जूनियर डिवीजन (विशेष भर्त्ती) परीक्षा एवं सिविल जज जूनियर डिवीजन (सीधी भर्त्ती) परीक्षा के कुल 66 पदों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया। इसके अलावा सीधे साक्षात्कार के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया गया। कुल 07 विज्ञापनों में सीधे साक्षात्कार के द्वारा कुल 112 अभ्यर्थियों की अनुशंसा सरकार को भेजी गयी। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची ने इस अवधि में विश्वविद्यालय संबंधी मामलों में झारखण्ड के कुल पाँच विश्वविद्यालयों में कुल 29 (उनतीस) प्रोन्नति के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की एवं कुल 02 (दो) प्रोन्नति के प्रस्ताव पर असहमति प्रदान की। साथ ही विश्वविद्यालय के बर्खास्तगी के मामले में आयोग ने एक (01) बर्खास्तगी प्रस्ताव पर सहमति दी।

सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा प्रेषित अनुशासनिक एवं विभागीय कार्यवाही मामलों में आयोग के द्वारा कुल 10 (दस) अनुशासनिक मामलों में सहमति प्रदान की गई। साथ ही आयोग द्वारा विभिन्न विभागों की कुल 06 (छः) नियमावलियों पर सहमति प्रदान की गयी।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत कुल 477 आवेदनों में त्वरित कार्रवाई कर निस्तारित किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपीलीय अधिकार द्वारा 60 मामलों का निष्पादन किया गया।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर 108 मामलों के विरुद्ध आलोच्य अवधि में कुल 45 मामलों में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निष्पादन करने की कृपा की गई।

आयोग यह अवगत कराना चाहता है कि मानवीय एवं तकनीकी संसाधनों का अभाव होते हुए भी आयोग ने अपने दायित्वों का निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं दक्षतापूर्वक निर्वहन करते हुए निष्ठा के सभी मानकों को कायम रखा। झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा आलोच्य अवधि में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु कुल 45 बैठकों का आयोजन किया गया।

झारखण्ड सरकार तथा सभी जिला प्रशासन के अधिकारियों/कर्मचारियों, विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के शिक्षकों/पदाधिकारियों एवं अन्य संस्थानों के अभूतपूर्व योगदान एवं उनके बहुमूल्य सहयोग हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग हृदय से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता है। उनके इस सहयोग के बिना आयोग के लिए अपने संवैधानिक कार्यों को निर्बाध रूप से सम्पन्न करना संभव नहीं हो पाता।

आयोग अपने सभी अधिकारियों /कर्मचारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता है, जिन्होंने कठोर परिश्रम, निष्ठा एवं दक्षतापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया।

के. विद्यासागर
अध्यक्ष
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।

स्थान : राँची।
दिनांक–............................

विषय सूची

क्र0 सं0	अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
1	अध्याय–01	आयोग का संक्षिप्त इतिहास	7
2	अध्याय–02	आयोग सचिवालय की संरचना	8
3	अध्याय–03	आयोग का संगठन	9
4	अध्याय–04	आयोग कार्य संचालन की प्रविधि एवं प्रक्रिया	10
5	अध्याय–05	आयोग के कार्य	12
6	अध्याय–06	लिखित परीक्षा का आयोजन	16
7	अध्याय–07	साक्षात्कार के आधार पर चयन प्रक्रिया	17
8	अध्याय–08	प्रोन्नति संबंधी मामले	24
9	अध्याय–09	विश्वविद्यालय संबंधी मामले	25
10	अध्याय–10	अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण	27
11	अध्याय–11	सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् निस्तारण	28
12	अध्याय–12	आयोग द्वारा विभिन्न विभागों की नियमावलियों पर दी गई सहमति की सूची	30
13	अध्याय–13	वित्तीय विवरणियाँ	31
14	अध्याय–14	आयोग से संबंधित न्यायिक मामले	33
15	अध्याय–15	सेवा शर्तें एवं भर्त्ती नियमावली	34
16	परिशिष्ट–I	माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों का संक्षिप्त जीवन वृत्त	35
17	परिशिष्ट–II	आयोग कार्यालय में कार्यरत पदाधिकारियों की अद्यतन स्थिति	39
18	परिशिष्ट–III	आयोग कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की अद्यतन स्थिति	40

अध्याय-01

आयोग का संक्षिप्त इतिहास

झारखण्ड प्रदेश का क्षेत्र सन् 1905 के पूर्व बंगाल सूबे के अंतर्गत स्थित था। बंग विभाजन के परिणाम स्वरूप यह सन् 1936 तक बिहार एवं उड़ीसा राज्य के अंतर्गत था तथा 15.11.2000 को यह बिहार राज्य से पृथक होकर झारखण्ड राज्य के रूप में गठित हुआ। झारखण्ड राज्य अस्तित्व में आने के उपरान्त झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची का गठन भारत का संविधान अनुच्छेद 315 के अंतर्गत दिनांक 23.01.2001 को किया गया।

भारत का संविधान अनुच्छेद 316 के अंतर्गत सरकार द्वारा 25 जनवरी 2002 को झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की गई। झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में डॉ. फटिक चन्द्र हेम्ब्रम द्वारा 05 फरवरी 2002 को कार्यभार ग्रहण किया गया। आयोग के गठन के उपरान्त माननीय अध्यक्ष का कार्यकाल निम्नवत् है:

क्र0सं0	माननीय अध्यक्ष का नाम	पदभार ग्रहण होने की तिथि	कार्यकाल समाप्त होने की तिथि
1.	डॉ0 फटिक चन्द्र हेम्ब्रम	05.02.2002	14.01.2004
2.	डॉ0 दिलीप कुमार प्रसाद (कार्यकारी)	22.01.2004	22.09.2004
3.	डॉ0 दिलीप कुमार प्रसाद	23.09.2004	13.04.2010
4.	श्री आलोक कुमार सेनगुप्ता (कार्यकारी)	14.04.2010	06.01.2011
5.	श्री रमेश चन्द्र कैथल (कार्यकारी)	07.01.2011	24.01.2011
6.	डॉ0 मो0 परवेज हसन (कार्यकारी)	25.01.2011	30.06.2011
7.	श्री शिव बसंत	01.07.2011	06.07.2013
8.	डॉ0 देवाशीष गुप्त	08.07.2013	24.02.2015
9.	डॉ0 धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	25.02.2015	31.12.2016
10.	श्री के0 विद्यासागर	17.01.2017	वर्त्तमान

******

अध्याय-02

आयोग सचिवालय की संरचना

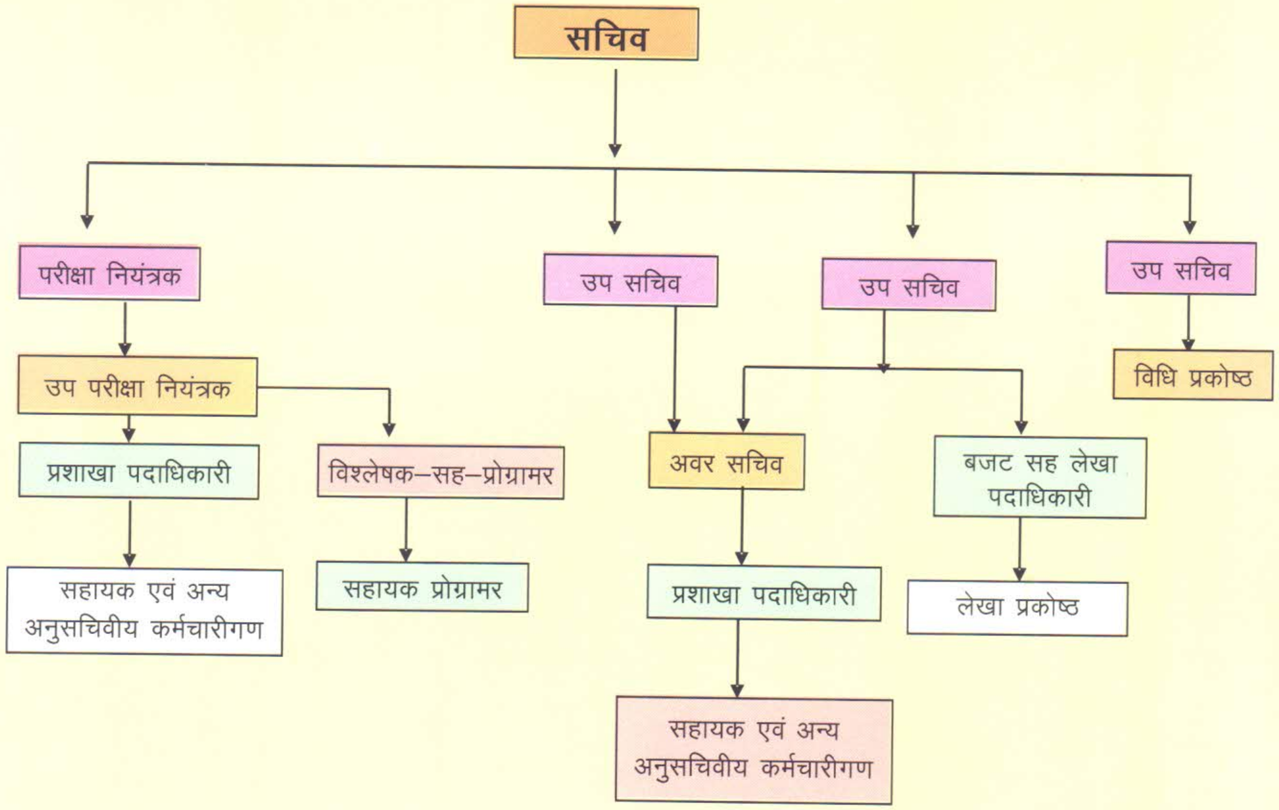

अध्याय-03

आयोग का संगठन

झारखण्ड लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष एवं चार सदस्यों के पद स्वीकृत हैं। वर्त्तमान में माननीय अध्यक्ष के अतिरिक्त मात्र दो माननीय सदस्य कार्यरत हैं तथा माननीय सदस्य के दो पद यहाँ रिक्त हैं। आयोग का वर्त्तमान संगठन निम्न प्रकार है :-

क्र0	नाम	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1	श्री के0 विद्यासागर	**अध्यक्ष**	17.01.2017
2	डा0 सतीश्वर प्रसाद सिन्हा	**सदस्य**	01.06.2015
3	श्री फिदेलिस टोप्पो	**सदस्य**	02.05.2016

******

अध्याय-04

आयोग के कार्य संचालन की प्रविधि एवं प्रक्रिया

15 नवम्बर 2000 ई. को झारखण्ड राज्य की स्थापना के उपरांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315(1) के अन्तर्गत तत्कालीन महामहिम राज्यपाल द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग के गठन की स्वीकृति दिनांक 23.01.2001 को प्रदान की गयी। आयोग दिनांक 25.01.2002 को अस्तित्व में आया जब आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की गयी। प्रारंभ में एक अध्यक्ष एवं आठ सदस्यों की नियुक्ति की व्यवस्था आयोग हेतु की गयी थी परन्तु बाद के वर्षों में सदस्यों की संख्या आठ के स्थान पर चार कर दी गयी। राँची में आयोग के मुख्यालय की स्वीकृति प्रदान की गयी जहाँ आज भी आयोग कार्यालय अवस्थित है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग के कृत्य :

320 (3) यथास्थिति, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग से–

(क) सिविल सेवाओं में और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर,

(ख) सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में ताकि एक सेवा से दूसरी सेवा में प्रोन्नति और अन्तरण करने में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्तों पर और ऐसी नियुक्ति, प्रोन्नति या अन्तरण के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर,

(ग) ऐसे व्यक्ति पर, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार की सिविल हैसियत से सेवा कर रहा है, प्रभाव डालने वाले सभी अनुशासनिक विषयों पर, जिसके अन्तर्गत ऐसे विषयों से अभ्यावेदन या याचिकाएँ हैं।

(घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके सम्बन्ध में, जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन या किसी देशी सरकार के अधीन सिविल हैसियत में सेवा कर रहा है या कर चुका है, इस दावे पर कि अपने कर्त्तव्य के निष्पादन में किये गये या किये जाने के लिए तात्पर्यित कार्यों के संबंध में उसके विरुद्ध संस्थित विधिक कार्यवाहियों की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा उपगत खर्च का, यथास्थिति, भारत की संचित निधि में से या राज्य की संचित निधि में से संदाय किया जाना चाहिए।

(ङ) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन सिविल हैसियत में सेवा करते समय किसी व्यक्ति को हुई क्षतियों के बारे में पेंशन अधिनिर्णित किये जाने के लिए किसी दावे पर और ऐसे अधिनिर्णय की रकम विषयक प्रश्न पर, परामर्श किया जायेगा और इस प्रकार उसे निदेशित करें, परामर्श देने का लोक सेवा

आयोग का कर्त्तव्य होगा, परन्तु अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में तथा संघ के कार्य–कलाप से संबंधित अन्य सेवाओं और पदों के संबंध में राज्यपाल उन विषयों का विनिर्दिष्ट करने वाले विनियम बना सकेगा, जिनमें साधारणतया या किसी विशिष्ट वर्ग के मामले में या किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

320 (4) खण्ड (3) की किसी बात से यह अपेक्षा नहीं होगी कि लोक सेवा आयोग से उस नीति के संबंध में, जिससे अनुच्छेद–16 खण्ड (4) में निर्दिष्ट कोई उपबन्ध किया जाना है या उस नीति के संबंध में, जिससे अनुच्छेद–335 के उपबन्धों को प्रभावी किया जाना है, परामर्श किया जाय।

320 (5) राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा खण्ड (3) के परन्तुक के अधीन बनाये गये सभी विनियमन बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, यथास्थिति, संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधान मण्डल के सदन या प्रत्येक सदन के समक्ष कम से कम 14 दिन के लिए रखे जायेंगे, और निरसन या संशोधन द्वारा किये गये ऐसे उपान्तरणों के अधीन होंगे जो संसद के दोनों सदन या उस राज्य के विधान मण्डल का सदन या दोनों सदन उस सत्र में करे, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं।

आयोग का कार्य विस्तारण:

भारत का संविधान के अनुच्छेद–321 में लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति–यथास्थिति, संसद द्वारा या किसी राज्य के विधान–मंडल द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संघ की या राज्य की सेवाओं के संबंध में और किसी स्थानीय प्राधिकारी या विधि द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या किसी लोक संस्था की सेवाओं के संबंध में भी अतिरिक्त कृत्यों के प्रयोग के लिए उपबंध कर सकेगा।

******

अध्याय-05

आयोग के कार्य

संवैधानिक एवं स्वशासी संस्था होने के नाते आयोग अपने कार्यो एवं दायित्वों के संचालन हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने में सक्षम है। राज्य सरकार के अनुमोदनोपरांत कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 118 दिनांक 16.01.2001 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमन 2000 गठित है जिसे अधिसूचना संख्या 11/लो0से0आ0 -01-03/2013 का0-789 दिनांक-27.01.2014 द्वारा संशोधित किया गया है।

इसी प्रकार कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 117 दिनांक 16.01.2001 द्वारा अधिसूचित, झारखण्ड लोक सेवा आयोग (सेवा शर्त), 2000 भी गठित है जिसके अनुरूप आयोग के माननीय अध्यक्ष/सदस्यों तथा पदाधिकारियों/कर्मियों के सेवा-शर्त्तो के संबंध में प्रावधान लागू हैं। इसे कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 6/लो0से0आ0 -103/2001 का0-6818 दिनांक 15.12.2003, अधिसूचना संख्या 6/लो0से0आ0 - स्था0 -15/2002 का0 3240 दिनांक 10.06.2003, अधिसूचना संख्या 6/लो0 से0 आ0-103/2001 का0 -4664 दिनांक 15.07.2009, अधिसूचना संख्या 6/स्था0 (आयोग) वे0पु0-04/2009 का0-9011 दिनांक 03.08.2011 एवं अधिसूचना संख्या 6/लो0 से0 आ0 (प्रत्यर्पण)-11/2012 का0-5811 दिनांक 29.06.2013 द्वारा संशोधित किया गया है।

नियुक्ति एवं चयन की प्रक्रिया

आयोग द्वारा नियुक्ति एवं चयन की प्रक्रिया मुख्यत: दो स्तरों पर की जाती है :-

(1) नियुक्ति:-

(I) नियुक्ति की प्रक्रिया के अंतर्गत संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में त्रिस्तरीय परीक्षा आयोजित की जाती है। प्रारम्भिक परीक्षा जो मुख्यत: screening test के रूप में होता है जिसके अंकों की गणना मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के चयन के लिए की जाती है अन्यथा इसके अंकों का मेधा निर्धारण में प्रयोग नहीं किया जाता। मेधा का निर्धारण मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता है।

(ii) अन्य सेवाओं में सामान्यत: मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार आयोजित किया जाता है। रिक्तियों के अनुपात में उम्मीदवारों की संख्या अत्यधिक होने पर प्रारम्भिक परीक्षा एवं प्रारम्भिक परीक्षा में अर्हित उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार।

प्रारम्भिक परीक्षा राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में स्थित महाविद्यालयों/विद्यालयों में संबंधित जिलाधिकारी के सहयोग से आयोजित की जाती है। प्रारंभिक परीक्षा में अर्हित अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन राँची शहर अवस्थित विभिन्न महाविद्यालयों/विद्यालयों में की जाती है।

(2) चयन:

झारखण्ड लोक सेवा आयोग भारत का संविधान का अनुच्छेद 321 के तहत् विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षक एवं पदाधिकारीगण के नियुक्ति/प्रोन्नति संबंधी कार्यो हेतु भी प्राधिकृत है। विश्वविद्यालय अधिनियम एवं नियमावली के अनुरूप अभ्यर्थियों का चयन शैक्षिक अभिलेखों एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाती है तदनुरूप उनका चयन किया जाता है।

प्रश्नपत्र बनाने की कार्रवाई

Rules of Procedure-2002 में दिये गये निर्देश के आलोक में परीक्षा नियंत्रक द्वारा ऐसे शिक्षकों का पैनल तैयार किया जाता है जिनकी सेवा महाविद्यालयों में कम-से-कम दस वर्ष की अथवा विश्वविद्यालय स्तर पर पाँच वर्ष की हो। साथ ही जिनकी नैतिक ईमानदारी (Integrity) निर्विवाद हो। इस पैनल में दर्ज विभिन्न विश्वविद्यालय के पाँच शिक्षकों से प्रश्नपत्र बनवाने की कार्रवाई की जाती है। पुन: आयोग में उक्त पैनल से Moderator का चयन किया जाता है जिनके द्वारा Moderation की कार्रवाई की जाती है तदोपरांत विहित प्रक्रियानुसार मुद्रण की कार्रवाई की जाती है।

उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन

प्रारम्भिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन **ओ.एम.आर. स्कैनिंग** विधि से कम्प्यूटर द्वारा किया जाता है। Answer Key Website पर प्रदर्शित कर अभ्यर्थियों की आपत्ति प्राप्त कर उस पर विशेषज्ञों का मन्तव्य लिया जाता है पुन: आपत्ति पर विशेषज्ञों का मन्तव्य प्राप्त कर अभ्यर्थियों को सूचित करने के उद्देश्य से Website पर प्रकाशित किया जाता है। लिखित परीक्षा (मुख्य) के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आयोग द्वारा अनुमोदित परीक्षकों द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन से पूर्व Model Answer मुख्य परीक्षक के पर्यवेक्षण में बनाकर परीक्षकों को उपलब्ध कराया जाता है। उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के पूर्व उत्तर-पुस्तिकाओं को Shuffle कर 50-50 की संख्या के समूह में करने के उपरान्त कोडिंग की जाती है। मूल्यांकन के पश्चात् परीक्षक एवं मुख्य परीक्षक के द्वारा मार्क्स फाईल तैयार की जाती है।

******

परीक्षाफल प्रकाशन

प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षाओं में उम्मीदवारों के कुल लब्धांक एवं विज्ञापन में प्रकाशित शर्त्तों के अनुरूप परीक्षाफल, आयोग के परीक्षा नियंत्रक के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में तैयार किया जाता है, जिसे आयोग के अनुमोदनोपरान्त प्रकाशित किया जाता है। सभी परीक्षार्थियों का परीक्षाफल तथा अनुशंसित उम्मीदवारों का Cut off Marks आयोग के website पर प्रकाशन की तिथि से 2 माह के लिए प्रदर्शित किया जाता है। परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह सम्पन्न होने के उपरान्त अभ्यर्थियों को सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत् उनके अनुरोध पर उन्हें आयोग कार्यालय में अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को देखने की भी सुविधा दी जाती है।

परीक्षाफल प्रकाशन के बाद अभ्यर्थियों को सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, Rules of Procedure, 2002 के Chapter-III:Basic Functions of the Commission के Rule-4 (xiii) (l) एवं (m) में परीक्षा के आधार पर मेधा सूची एवं परीक्षाफल तैयार करने तथा अनुशंसा किये जाने से संबंधित प्रावधान है।

आयोग पारदर्शिता तथा अभ्यर्थियों को सही सूचना मिल सके, इसके लिए निम्न व्यवस्था आयोग द्वारा की गई है।

(क) आयोग द्वारा आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा के आवेदन प्राप्ति के बाद स्क्रूटिनी के फलस्वरूप विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप आवेदन के साथ सूचना उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में, ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन अस्वीकृत करने के संबंध में आयोग का निर्णय प्राप्त किया जाएगा।

(ख) आवेदन अस्वीकृत होने वाले उम्मीदवारों की सूची अस्वीकृति के कारण के साथ आयोग की वेबसाईट पर अपलोड कर अभ्यर्थियों से 15 दिनों के अन्दर अपील आवेदन देने का निदेश दिया जाएगा। वेबसाईट पर उक्त सूचना प्रकाशन से संबंधित विज्ञप्ति समाचार पत्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों को दी जाएगी। अपील अभ्यावेदनों पर आयोग के निर्णय के उपरान्त प्रेस विज्ञप्ति द्वारा आयोग की वेबसाईट पर निर्णय अपलोड की सूचना दी जायेगी।

(ग) परीक्षा के उपरान्त संबंधित विभागों को आयोग के स्तर से अनुशंसित किये जाने वाले उम्मीदवारों की सूची कोटिवार, आयोग की वेबसाईट पर प्रकाशित की जाएगी। विभागों को भेजे जाने वाले अनुशंसा पत्र की स्कैन फोटो प्रति भी आयोग की वेबसाईट पर जारी की जाएगी।

(घ) आयोग की वेबसाईट पर अनुशंसित उम्मीदवारों के अंतिम कट ऑफ मार्क्स भी कोटिवार अपलोड किये जाएंगे। इसके अतिरिक्त परीक्षा में सम्मिलित सभी उम्मीदवारों (अनुशंसित तथा असफल अभ्यर्थियों सहित) का अंक भी अपलोड किया जाएगा जिसे केवल संबंधित उम्मीदवार प्राप्त अंकों का अवलोकन एवं डाउनलोड कर सकेंगे।

(ड़) परीक्षा के उपरांत आयोग द्वारा अपनी अनुशंसा भेजे जाने के समय निम्न सूचनाओं के साथ प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी:–

(i) आयोग की वेबसाईट पर संबंधित परीक्षा के सफल उम्मीदवारों की सूची उपलब्ध है।

(ii) अनुशंसित उम्मीदवारों के कोटिवार कट ऑफ मार्क्स भी आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(iii) परीक्षा में सम्मिलित सफल एवं असफल सभी अभ्यर्थियों के अंक भी आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध हैं। संबंधित उम्मीदवार प्राप्त अंक का अवलोकन एवं डाउनलोड कर सकते हैं।

(iv) उपरोक्त सूचनाएँ 60 दिनों तक आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेंगी। संबंधित परीक्षा के अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्तांक और कट ऑफ मार्क्स के संबंध में आयोग से पत्राचार अनावश्यक होगा।

(v) झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रूल्स ऑफ प्रोसिड्योर, 2002 के Chapter-III, Rule-4 (xiii) के आलोक में परीक्षा के उम्मीदवारों से अंको के पुनर्जोड़ तथा अपने उत्तर–पुस्तिका के अवलोकन से संबंधित आवेदन 60 दिनों के अन्दर तक ही स्वीकार्य होंगे। इसके बाद किया गया अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।

साक्षात्कार की पद्धति

साक्षात्कार में पूर्ण पारदर्शिता अपनाई जाती है। साक्षात्कार पर्षद का गठन माननीय अध्यक्ष द्वारा साक्षात्कार के 15 मिनट पूर्व किया जाता है, किस पर्षद के अन्तर्गत कौन–से क्रमांक के अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु उपस्थित होंगे यह भी उक्त समय में ही तय किया जाता है। साक्षात्कार पर्षद में आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य के अतिरिक्त कम से कम दो विशेषज्ञ होते हैं। साक्षात्कार पर्षद के अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन कर अलग–अलग अंक दिये जाते हैं जिसे साक्षात्कार के उपरान्त पालीवार समेकित अंक चार्ट भर कर सीलबंद लिफाफा के रूप में परीक्षा नियंत्रक को प्रतिदिन साक्षात्कार समापन के उपरान्त साक्षात्कार पर्षद द्वारा हस्तगत कराया जाता है।

आयोग के अन्य कार्य

1. राज्य सेवाओं की सेवा एवं सेवा संवर्ग नियमावलियों के प्रख्यापन के पूर्व आयोग का परामर्श।
2. विश्वविद्यालय एवं स्थानीय नगर–निकाय से संबंधित नियुक्ति/प्रोन्नति संबंधी नियमावलियों पर प्रख्यापन के पूर्व आयोग का परामर्श।
3. राज्य सेवा/संवर्ग एवं विश्वविद्यालय संबंधी अनुशासनिक प्रकरणों पर परामर्श।
4. विभागीय प्रोन्नति समिति का आयोजन।
5. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के विभिन्न पदों पर प्रोन्नति संबंधी अनुशंसा।

******

अध्याय-06

लिखित परीक्षा का आयोजन

1. सिविल जज जूनियर डिवीजन (विशेष भर्त्ती) परीक्षा (विज्ञापन संख्या-11/2015)

झारखण्ड न्यायिक सेवा के अन्तर्गत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 20 पदों के लिए मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक-18.02.2017 एवं 19.02.2017 को आयोजित की गयी।

1.	प्रारंभिक परीक्षा की तिथि	02.07.2016
2.	सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या	589
3.	मुख्य परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या	306

2. सिविल जज जूनियर डिवीजन (सीधी भर्त्ती) परीक्षा (विज्ञापन संख्या-10/2015)

झारखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिविजन) सीधी भर्त्ती (विज्ञापन सं.-10/2015) की मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक-04.03.2017 एवं 05.03.2017 को आयोजित की गयी।

1.	प्रारंभिक परीक्षा की तिथि	25.06.2016
2.	सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या	9502
3.	मुख्य परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या	782

अध्याय-07

साक्षात्कार के आधार पर चयन प्रक्रिया

Veterinary Doctor (Basic Grade) (Advertisement No.-08/2015)

झारखण्ड पशुपालन सेवा के पशुचिकित्सक (बेसिक ग्रेड) के पद पर नियुक्ति हेतु कुल 16 (सोलह) पद हेतु साक्षात्कार दिनांक-30.08.2016 से दिनांक-02.09.2016 तक आयोजित किया गया। अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हत्ता एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार कर आयोग के पत्रांक-2715 दिनांक-07.10.2016 द्वारा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड को भेजी गयी।

1	कुल पद	16	आयोग का पत्रांक-2562 दिनांक-26.09.2016
2	प्राप्त आवेदनों की संख्या	330	
3	साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या	255	
4	अनुशंसा	16	

कोटिवार अनुशंसा					
अनारक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-I	पिछड़ा वर्ग-II	कुल
08	02	04	01	01	16

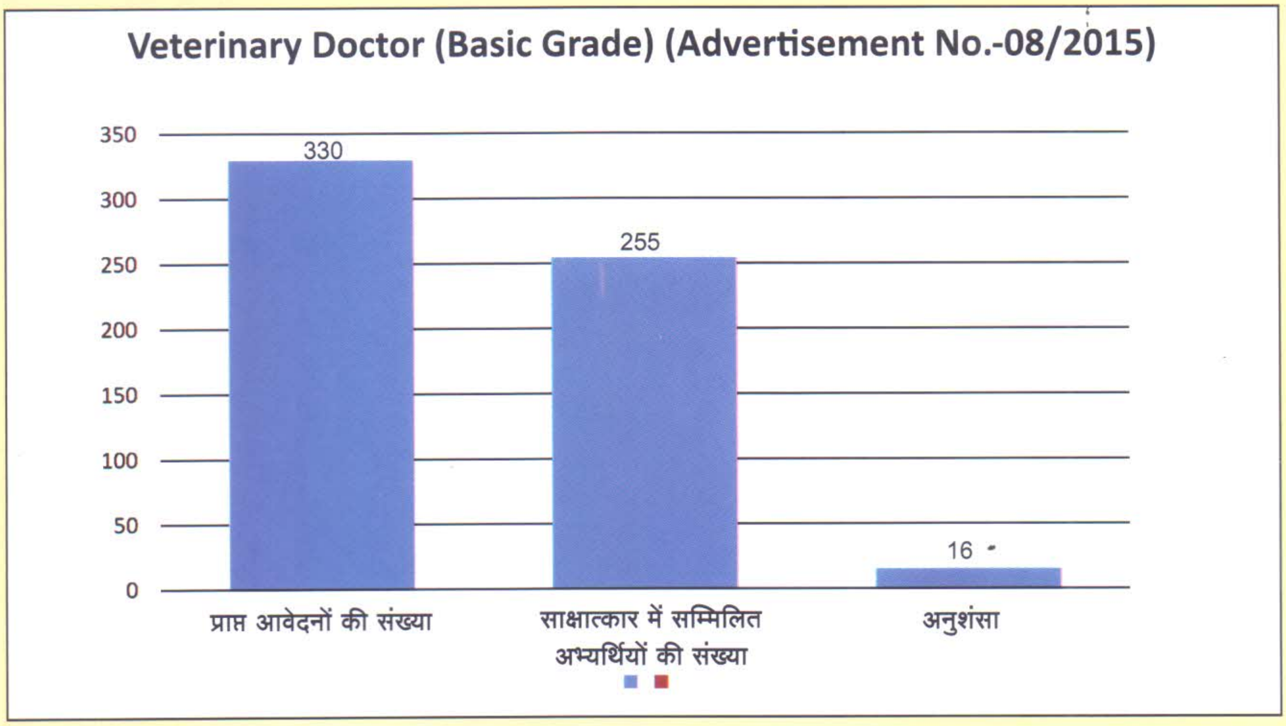

Veterinary Doctor (Backlog) (Advertisement No.-09/2015)

झारखण्ड पशुपालन सेवा के पशुचिकित्सक (बैकलॉग) नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना एवं नियुक्ति नियमावली के आलोक में आयोग द्वारा दिनांक-06.09.2016 से 07.09.2016 तक साक्षात्कार आयोजित किया गया। अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हत्ता एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार कर आयोग के पत्रांक-2764 दिनांक-19.10.2016 द्वारा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड को भेजी गयी।

1	कुल पद	130	आयोग का पत्रांक– 2764 दिनांक–19.10.2016
2	प्राप्त आवेदनों की संख्या	163	
3	साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या	102	
4	अनुशंसा	84	

कोटिवार अनुशंसा

अनारक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–I	पिछड़ा वर्ग–II	कुल
00	12	55	17	00	84

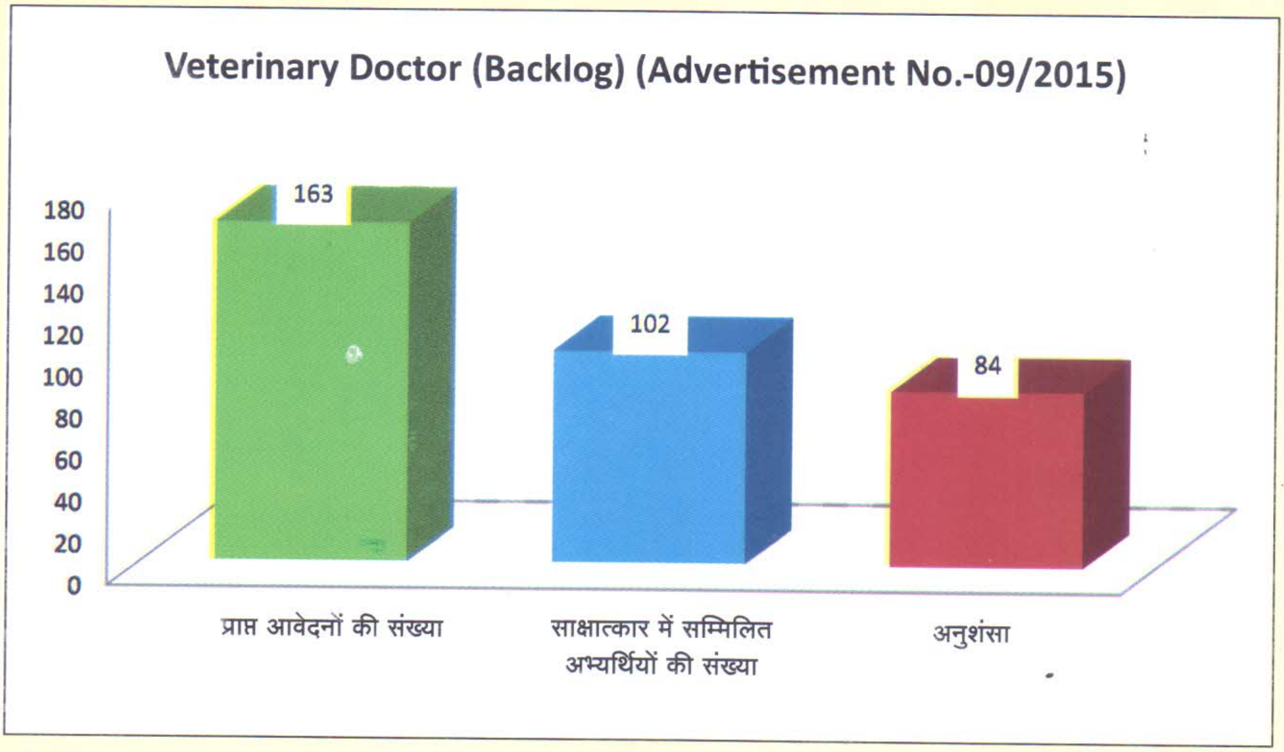

Director, BIT Sindri (Advertisement No.-05/2016)

अभियंत्रण संस्थान बी.आई.टी. सिन्दरी में निदेशक के एकल पद पर नियमित नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना एवं नियुक्ति नियमावली के आलोक में उक्त पद हेतु दिनांक–06.10.2016 को साक्षात्कार सम्पन्न हुआ। शैक्षणिक अर्हत्ता एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर एक सफल अभ्यर्थी की सूची आयोग के पत्रांक–2762 दिनांक–18.10.2016 द्वारा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड को भेजी गयी।

1	कुल पद	एकल पद	आयोग का पत्रांक–2762 दिनांक–18.10.2016
2	प्राप्त आवेदनों की संख्या	18	
3	साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या	15	
4	अनुशंसा	01	

कोटिवार अनुशंसा

अनारक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–I	पिछड़ा वर्ग–II	कुल
01	00	00	00	00	01

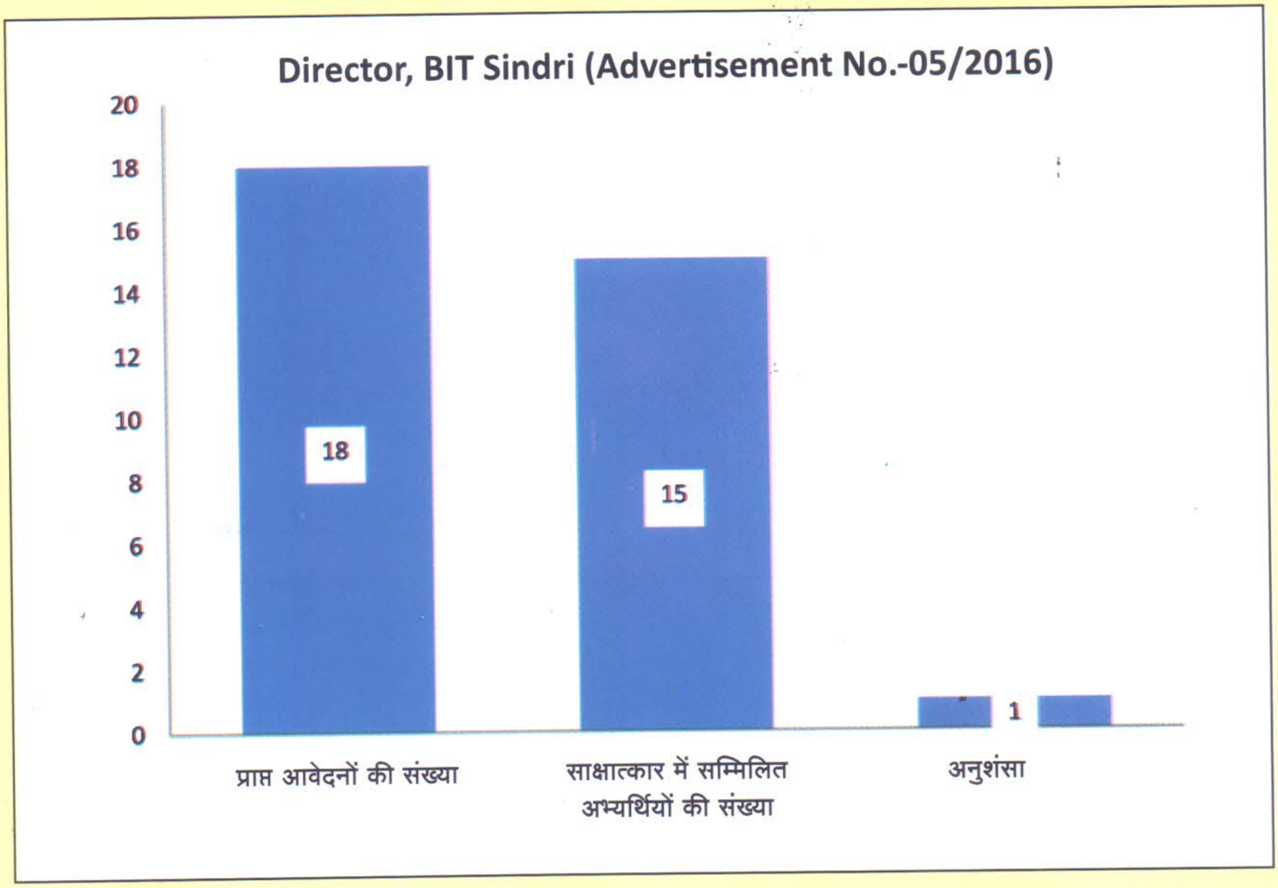

Director, Technical Education Directorate (Advertisement No.-04/2016)

तकनीकी शिक्षा निदेशालय के लिए निदेशक के एकल पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना एवं नियुक्ति नियमावली के आलोक में दिनांक–22.09.2016 को साक्षात्कार आयोजित किया गया। अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हत्ता एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग द्वारा 02 (दो) अभ्यर्थियों के पैनल की मेधा क्रमानुसार अनुशंसा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड को भेजी गयी।

1	कुल पद	एकल पद	आयोग का पत्रांक–2761 दिनांक–18.10.2016
2	प्राप्त आवेदनों की संख्या	08	
3	साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या	02	
4	अनुशंसा	02 (पैनल)	

कोटिवार अनुशंसा					
अनारक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–I	पिछड़ा वर्ग–II	कुल
02	00	00	00	00	02 (पैनल)

Director, Technical Education Directorate (Advertisement No.-04/2016)

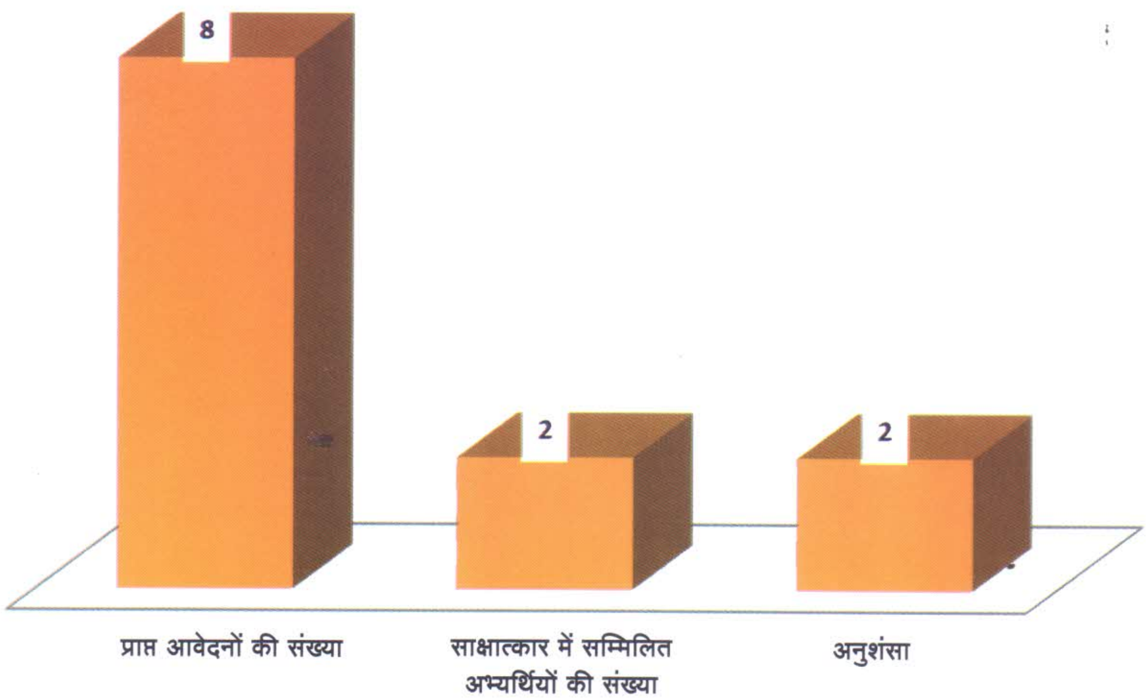

Assistant Agriculture Director/Sub-Divisional Officer and equivalent (Backlog) (Advertisement No.-04/2015)

सहायक कृषि निदेशक/अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष (बैकलॉग) के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना एवं नियुक्ति नियमावली के आधार पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक अर्हत्ता एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार कर कुल 03 अभ्यर्थियों की अनुशंसा आयोग का पत्रांक–2562 दिनांक–26.09.2016 द्वारा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड को भेजी गयी।

1	कुल पद	03	आयोग का पत्रांक–2562 दिनांक–26.09.2016
2	प्राप्त आवेदनों की संख्या	274	
3	साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या	28	
4	अनुशंसा	03	

कोटिवार अनुशंसा

अनारक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–I	पिछड़ा वर्ग–II	कुल
00	00	03	00	00	03

Assistant Agriculture Director/Sub-Divisional Officer and equivalent (Backlog) (Advertisement No.-04/2015)

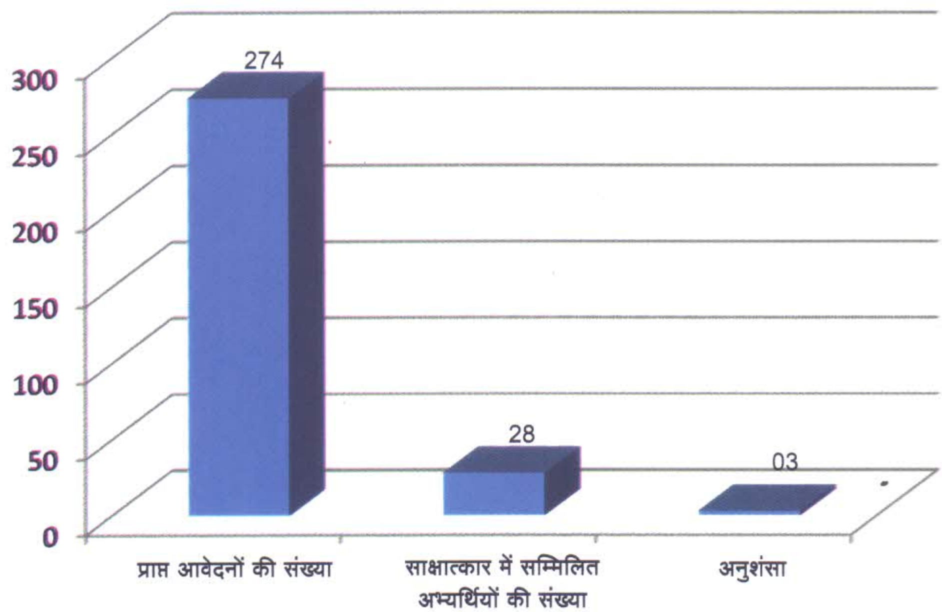

Director, Dairy Development (Advertisement No.–06 / 2016)

निदेशक, गव्य विकास, झारखण्ड के एकल पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना एवं नियुक्ति नियमावली के आलोक में साक्षात्कार दिनांक–18.10.2016 को आयोग कार्यालय में आयोजित किया गया। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक अर्हत्ता एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर एक अभ्यर्थी की अनुशंसा आयोग के पत्रांक–2760 दिनांक–18.10.2016 द्वारा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड को भेजी गयी।

<table>
<tr><td>1</td><td colspan="2">कुल पद</td><td colspan="2">एकल पद</td><td rowspan="4">आयोग का पत्रांक–2760
दिनांक–18.10.2016.</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">प्राप्त आवेदनों की संख्या</td><td colspan="2">05</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या</td><td colspan="2">01</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">अनुशंसा</td><td colspan="2">01</td></tr>
<tr><td colspan="6">कोटिवार अनुशंसा</td></tr>
<tr><td>अनारक्षित</td><td>अनु0 जाति</td><td>अनु0 जनजाति</td><td>अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–I</td><td>पिछड़ा वर्ग–II</td><td>कुल</td></tr>
<tr><td>01</td><td>00</td><td>00</td><td>00</td><td>00</td><td>01</td></tr>
</table>

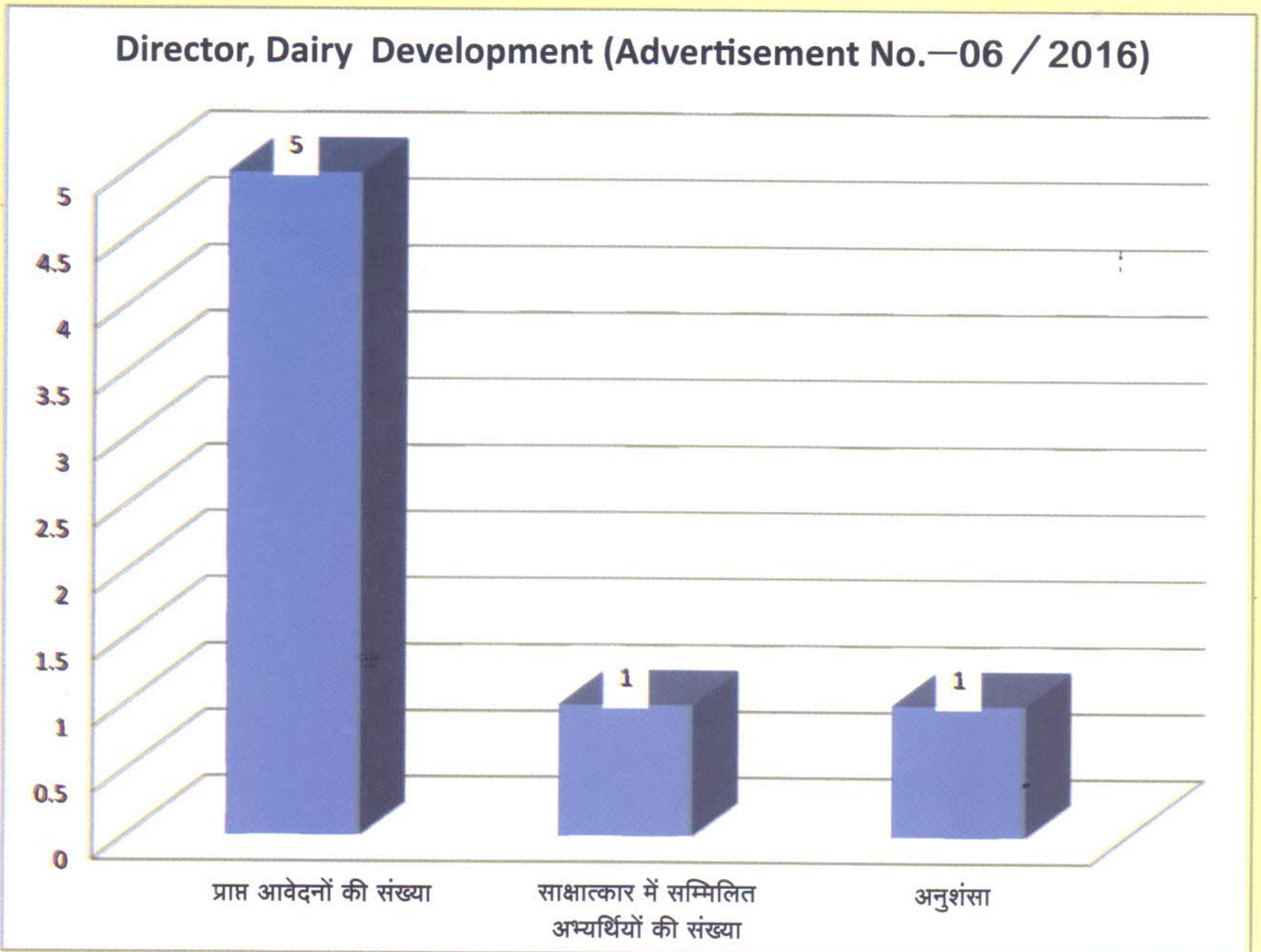

District Mining Officer (Advertisement No- 08/2016)

खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड के अन्तर्गत जिला खनन पदाधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु दिनांक–09.11.2016 को साक्षात्कार आयोजित किया गया। साक्षात्कार के पश्चात् आयोग के पत्रांक–2971 दिनांक–11.11.2016 द्वारा कुल 05 अभ्यर्थियों की अनुशंसा सूची खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड को भेजी गयी।

1	कुल पद	05	आयोग का पत्रांक–2971 दिनांक–11.11.2016
2	प्राप्त आवेदनों की संख्या	88	
3	साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या	16	
4	अनुशंसा	05	

कोटिवार अनुशंसा					
अनारक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–I	पिछड़ा वर्ग–II	कुल
03	01	01	00	00	05

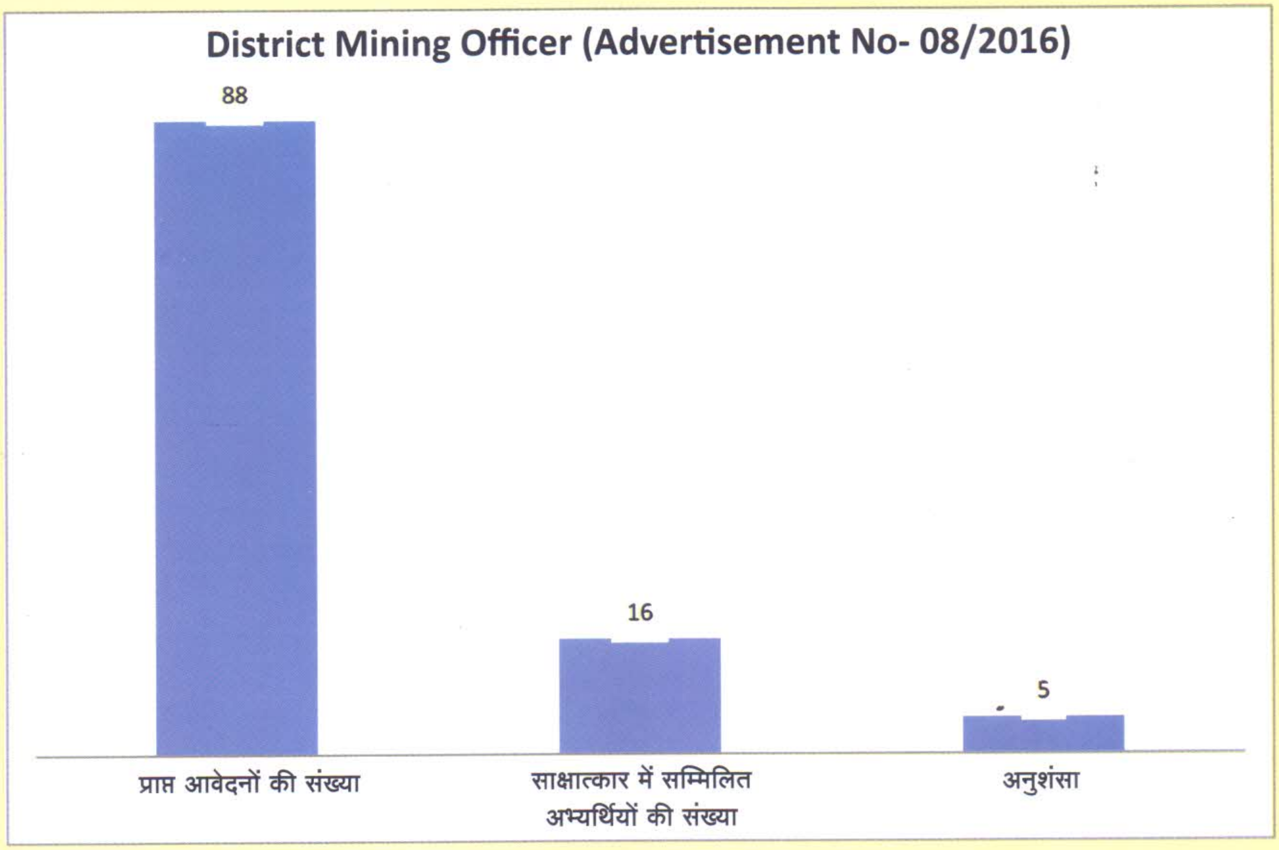

अध्याय-08

प्रोन्नति संबंधी मामले (01.04.2016 से 31.03.2017)

क्र0 सं0	विभाग का नाम	प्रोन्नति के लिए अधियाचित पद का नाम	बैठक की तिथि	प्रोन्नति के लिए अधियाचित पदों की संख्या	अनुशंसित प्रोन्नति की संख्या
01	00	00		00	

नोटः-माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा प्रोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति को देय आरक्षण के संबंध में निर्णय लिए जाने तक प्रोन्नति पर रोक लगाए जाने के कारण उक्त अवधि में कोई बैठक नहीं की गई।

******

अध्याय-09

विश्वविद्यालय संबंधी मामले

A. प्रोन्नति।				
क्र0 सं0	विश्वविद्यालय का नाम	योजना का नाम	प्रोन्नति के प्रस्ताव में सहमति	प्रोन्नति के प्रस्ताव में असहमति।
1	राँची विश्वविद्यालय, राँची।	प्रयोगप्रदर्शक से व्याख्याता के पद पर प्रोन्नति।	03	00
		कालबद्ध प्रोन्नति योजनान्तर्गत।	01	01
		मेधा प्रोन्नति योजनान्तर्गत।	08	00
		कैरियर एडवांसमेन्ट योजनान्तर्गत।	01	00
2	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग।	प्रयोगप्रदर्शक से व्याख्याता के पद पर प्रोन्नति।	01	00
		कालबद्ध प्रोन्नति योजनान्तर्गत।	05	00
		मेधा प्रोन्नति योजनान्तर्गत।	00	00
		कैरियर एडवांसमेन्ट योजनान्तर्गत।	00	01
3	सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका।	प्रयोगप्रदर्शक से व्याख्याता के पद पर प्रोन्नति।	01	00
		कालबद्ध प्रोन्नति योजनान्तर्गत।	00	00
		मेधा प्रोन्नति योजनान्तर्गत।	00	00
		कैरियर एडवांसमेन्ट योजनान्तर्गत।	02	00
4	कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।	प्रयोगप्रदर्शक से व्याख्याता के पद पर प्रोन्नति।	06	00
		कालबद्ध प्रोन्नति योजनान्तर्गत।	00	00
		मेधा प्रोन्नति योजनान्तर्गत।	00	00
		कैरियर एडवांसमेन्ट योजनान्तर्गत।	01	00
5	नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू।	प्रयोगप्रदर्शक से व्याख्याता के पद पर प्रोन्नति।	00	00
		कालबद्ध प्रोन्नति योजनान्तर्गत।	00	00
		मेधा प्रोन्नति योजनान्तर्गत।	00	00
		कैरियर एडवांसमेन्ट योजनान्तर्गत।	00	00
		कुल	**29 (उनतीस)**	**02 (दो)**
B. बर्खास्तगी।				
1	कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।	बर्खास्तगी।	01	00
		कुल	**01 (एक)**	**00**

******

शैक्षणिक नियुक्ति

क्र0सं0	पद का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	नियुक्ति की अनुशंसा
1	विश्वविद्यालय प्राचार्य / प्रधानाचार्य / व्याख्याता / उपाचार्य	राँची विश्वविद्यालय, राँची	NIL
2	Do	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग	NIL
3	Do	सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका	NIL
4	Do	कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा	NIL
5	Do	नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू	NIL
6	Do	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची	NIL
		कुल	शून्य

गैर शैक्षणिक नियुक्ति

क्र0सं0	पद का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	नियुक्ति की अनुशंसा
1	कुलसचिव, उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप परीक्षा नियंत्रक, महाविद्यालय निरीक्षक (कला एवं विज्ञान), वित्त पदाधिकारी, पुस्तकाध्यक्ष, उप पुस्ताकाध्यक्ष	राँची विश्वविद्यालय, राँची	NIL
2	Do	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग	NIL
3	Do	सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका	NIL
4	Do	कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा	NIL
5	Do	नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू	NIL
		कुल	शून्य

******

अध्याय-10

अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण

क्र0 सं0	विषय	अभ्युक्ति
01	श्री वीरेन्द्र नाथ चौबे, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमण्डल, लातेहार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संबंध में।	सहमति
02	डॉ0 श्रीमती रेणुका चौधरी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, यक्ष्मा–उपचार केन्द्र, जमशेदपुर संप्रति सेवानिवृत्त का शत–प्रतिशत पेंशन की राशि में कटौती करने के संबंध में।	सहमति
03	श्री अजय कुमार जामुदा, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 के विरूद्ध पेंशन कटौती का दण्ड अधिरोपित करने हेतु सहमति प्राप्त करने के संबंध में।	सहमति
04	श्री हरिशंकर राम, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद संप्रति सेवानिवृत्त के दण्ड अधिरोपण के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करने के संबंध में।	सहमति
05	श्रीमती फरहान खातून, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, लोहरदगा (गोड्डा) की बर्खास्तगी के प्रस्ताव पर सहमति देने के संबंध में।	सहमति
06	श्री सुरेश मिश्र, सेवानिवृत्त, झा0प्र0से0, तत्कालीन विशेष भू–अर्जन, पदाधिकारी सं0–1, स्वर्णरेखा परियोजना मानगो, जमशेदपुर के विरुद्ध पेंशन कटौती का दण्ड अधिरोपित करने हेतु सहमति प्रदान करने के संबंध में।	सहमति
07	श्री सुधीर कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त, झा0प्र0से0, तदेन अंचल पदाधिकारी, कोच एवं टिकारी, गया के विरुद्ध पेंशन कटौती का दण्ड अधिरोपित करने हेतु सहमति प्राप्त करने के संबंध में।	सहमति
08	श्री श्रीमत सोरेन, सेवानिवृत्त, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुण्डहित, जामताड़ा के विरूद्ध पेंशन कटौती का दण्ड अधिरोपित करने हेतु सहमति प्राप्त करने के संबंध में।	सहमति
09	डॉ0 नीलम मिंज, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, नगर ऊँटारी, गढ़वा को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में।	सहमति
10	श्री पार्थ सारथी चौधरी, निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना–सह–वित्त विभाग की सेवा मुक्ति के संबंध में।	सहमति

******

अध्याय-11

सूचना अधिकार अधिनियम 2005

JHARKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION
CIRCULAR ROAD, RANCHI

It has been resolved by Jharkhand Public Service Commission that following information's relating to confidential items which are exempted under section 8 (i) (e) and (g) of the Right to Information act, 2005 will not be disseminated :-

1) Name (s) & other particulars of any paper- Setter, Examiner/ Head Examiner, Moderator of recruitment examinations and preliminary, Written Tests in Selection Cases.
2) Name (s) and other particulars of Advisor/ Expert/Board Members & Government Representative invited by the Commission to assist the Commission in the Interview Boards/ personality Tests.
3) Information regarding marks secured by the candidates of any Recruitment Examination or any paper of a Recruitment Examination, the Examination process of which has not ended and allotment completed.
4) Cut off marks of any individual Recruitment Examination/ Preliminary examination / Written Examination for short listing of candidates called for interview prior to publication of results.
5) Any information regarding name, number of candidates & their particulars of different recruitment examination & selection cases.
6) Proceeding relating to promotion, Selection & Disciplinary cases.
7) Name & particulars of the press where sensitive material e.g. papers, Test Booklets, Answer Sheets, OMRs etc. are printed.
8) Access to the answer Script/ Sheets taking different recruitment Examination/ Preliminary Written Test/ Screening / Departmental Examination after expiry of 60 days from the date of publication of the final result of relevant examination.
9) File notings of confidential nature.
10) Annual Confidential Report rating in respect of officers and merit rating on assessment of Annual Confidential Reports in promotion cases.

******

Disposal Details of RTI application and first appeals :-

Period From- 01.04.2016 to 31.03.2017

Name, Official Designation of PIO with Phone/Cell No.	No. of R.T.I Applications filed before PIO	No. of Disposal of RTI Applications		Application fee	Cost of Information	Total Amount
		Information Provided	Rejected			
		(a)	(b)	(a)	(b)	
Chhatrabali Das (Under Secretary)	477	477	—	—	—	29,384/- (including application fee + Cost of information

Name, Official Designation of First Appellate Authority with Phone/Cell No.	No. of First Appeals Filed before First Appellate Authority	No. of Disposal of First Appeals		Remarks
		Allowed	Rejected	
		(a)	(b)	
Raju Ranjan Roy, Deputy Secretary	60	60	0	

******

अध्याय-12

आयोग द्वारा विभिन्न विभागों की नियमावलियों पर दी गई सहमति की सूची

क्र0 सं0	विषय	अभ्युक्ति
01	झारखण्ड राज्य गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) नियमावली, 2015	सहमति
02	झारखण्ड योजना सेवा नियमवाली, 2012	सहमति
03	झारखण्ड अभियोजन सेवा नियमावली, 2011	सहमति
04	झारखण्ड परिचारिका संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त नियामवली), 2016	सहमति
05	झारखण्ड राज्य फार्मेसी शिक्षा संवर्ग नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्त्त नियमावली 2016	सहमति
06	झारखण्ड क्रीड़ा संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2015	सहमति

******

अध्याय-13

वित्तीय विवरणियाँ

मुख्य शीर्ष- 2051 लोक सेवा आयोग, लघु शीर्ष-102 राज्य लोक सेवा आयोग उप शीर्ष- 01 लोक सेवा आयोग (प्रभृत) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 ज्ञापांक-09/स्था.-बजट-21/2016 का 0 -07(आ.)/राँची दिनांक-11.04.2016 से प्राप्त आवंटन एवं ज्ञापांक-09/स्था.-बजट-21/2016 का. -20(आ.)/राँची दिनांक-08.12.2016 एवं पत्रांक-29/वी.टी.ई./10/2016-17/74/बजट दिनांक-30.01.2017 के अनुसार द्वितीय एवं तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त आवंटन के विरूद्ध कुल खर्च के पश्चात् राशि की विवरणी :-

क्र0 सं0	इकाई	विपत्र कोड	वित्तीय वर्ष 2016–17		अवशेष राशि
			कुल आवंटन	वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय की गई राशि	
1	2	3	4	5	6=4-5
1	वेतन	34N205100102010101	3,52,38,000.00	**3,15,76,204.00**	**3,661,796.00**
2	संविदा भत्ता	34N205100102010108	74,71,000.00	**6,791,018.00**	**679,982.00**
3	एल0टी0सी0	34N205100102010112	2,40,000.00	**1,28,770.00**	**1,11,230.00**
4	देशीय यात्रा व्यय	34N205100102010213	5,00,000.00	**4,89,578.00**	**10,422.00**
5	कार्यालय व्यय	34N205100102010315	25,00,000.00	**24,96,603.00**	**3,397.00**
6	मशीनरी एवं उपकरण	34N205100102010317	15,00,000.00	**14,97,193.00**	**2,807.00**
7	मुद्रण	34N205100102010319	मूल आवंटन– 80,00,000.00 प्रत्यर्पित राशि (–) 30,00,000.00 कुल – **50,00,000.00**	**48,69,231.00**	**1,30,769.00**
8	विज्ञापन और प्रचार	34N205100102010328	50,00,000.00	**40,33,737.00**	**9,66,263.00**
9	व्यावसायिक सेवाएँ	34N205100102010329	मूल आवंटन– 1,30,00,000.00 पुनर्विनियोग से प्राप्त आवंटन– 30,00,000.00 तृतीस अनुपूरक के माध्यम से प्राप्त आवंटन–32,00,000.00 कुल – 1,92,00,000.00	**1,79,26,193.00**	**12,73,807.00**

10	दूरभाष	34N205100102010333	मूल आवंटन–3,00,000.00 द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से प्राप्त आवंटन–2,00,000.00 **कुल 5,00,000.00**	**1,84,355.00**	**3,15,645.00**
11	वर्दी	34N205100102010334	50,000.00	**42,500.00**	**7,500.00**
12	विद्युत व्यय	34N205100102010337	मूल आवंटन–4,50,000.00 द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से प्राप्त आवंटन–4,00,000.00 **कुल 8,50,000.00**	**8,50,000.00**	**-**
13	आतिथ्य व्यय	34N205100102010338	मूल आवंटन–15,00,000.00 द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से प्राप्त आवंटन–5,00,000.00 **कुल 20,00,000.00**	**11,19,441.00**	**8,80,559.00**
14	जेनरेटर का ईंधन	34N205100102010375	मूल आवंटन–3,00,000.00 द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से प्राप्त आवंटन–1,00,000.00 **कुल – 4,00,000.00**	**1,95,808.00**	**2,04,192.00**
15	मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	34N205100102010442	1,000,000.00	**7,13,134.00**	**2,86,866.00**
16	मुआवजा राशि	34N205100102010651	1,000.00	**-**	**1,000.00**
17	विधि प्रभार	34N205100102010760	मूल आवंटन–25,00,000.00 द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से प्राप्त आवंटन–2,00,000.00 तृतीय अनुपूरक के माध्यम से प्राप्त आवंटन– 8,00,000.00 **कुल –35,00,000.00**	**34,05,293.00**	**94,707.00**
18	सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएं	34N205100102010781	3,00,000.00	**2,48,124.00**	**51,876.00**
	कुल योग		**8,52,50,000.00**	**7,65,67,182.00**	**86,82,818.00**

******

अध्याय-14

आयोग से संबंधित न्यायिक मामले

झारखण्ड लोक सेवा आयोग से संबंधित न्यायिक मामलों का विवरण निम्न प्रकार है :-

न्यायालय	दायर वादों की संख्या		निष्पादित वादों की संख्या
माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।	रीट पिटीशन	78	40
	पार्टी द्वारा एल0पी0ए0	12	02
	आयोग द्वारा एल0पी0ए0	–	–
	अवमाननावाद	11	02
	कुल	**101**	**44**
माननीय उच्चतम न्यायालय, दिल्ली	एस0एल0पी0 / एस0एल0ए0	07	01
	कुल	**108**	**45**

******

अध्याय-15

सेवा शर्तें एवं भर्त्ती नियमावली

झारखण्ड लोक सेवा आयोग में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर वह सभी शर्त्तें लागू होती है, जो झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा लागू की गयी है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना ज्ञापांक-6/लो. से. आ.-103/2000 का.-117, दिनांक 16.01.2001 के द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग (सेवा शर्त्ते) विनियम-2000 अधिसूचित है। इस अधिसूचना में भारतीय संविधान की धारा 318 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल, झारखण्ड ने विनियमावली बनायी है जिसमें झारखण्ड लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा-शर्त्ते निर्धारित की गयी हैं तथा आयोग के कर्मचारीवृन्द और उनकी सेवा-शर्त्तों के बारे में उपबन्ध किया गया है।

परिशिष्ट-I

झारखण्ड लोक सेवा आयोग
माननीय अध्यक्ष

श्री के. विद्यासागर

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-486 दिनांक-16.01.2017 के द्वारा श्री के. विद्यासागर, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) को झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची का अध्यक्ष अधिसूचित किया गया। इस अधिसूचना के आलोक में श्री के. विद्यासागर दिनांक-17.01.2017 से अब तक झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं।

******

झारखण्ड लोक सेवा आयोग
माननीय सदस्यगण

डॉ. सतीश्वर प्रसाद सिन्हा

Shri Sinha started his service career, as teacher in St. Michael's School, Digha, Patna and then came to Ranchi University Service as Lecturer (Physics) in Giridih College, Giridih. He was promoted to the rank of Associate Professor and then was selected as Registrar, Vinoba Bhave University, Hazaribagh and Registrar, S. K. M. U., Dumka. He is life Member of National Academy of Science (Allahabad); Indian Science Congress Association (Kolkata); विज्ञानपरिषद् (इलाहाबाद); वैज्ञानिक (BARC, Mumbai); Plasma Science Society of India (Ahmedabad). Since 1st of June 2015 he is working as an Honourable Member, Jharkhand Public Service Commission, Ranchi.

श्री फिदेलिस टोप्पो

सन् 1980 में बिहार प्रशासनिक सेवा में चयनित श्री फिदेलिस टोप्पो ने उप समाहर्त्ता के पद पर योगदान कर अपनी लोक सेवा प्रारम्भ की। राज्य लोक सेवा के विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे तथा वर्ष 2012 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए तथा निदेशक, नगरीय प्रशासन नगर विकास विभाग, निदेशक, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, उपायुक्त पाकुड़ एवं परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग में कार्यरत थे। फरवरी, 2015 में सचिव के रैंक में प्रोन्नत हुए तथा प्रोन्नति के पश्चात् प्रमण्डलीय आयुक्त, दुमका के पद पर पदस्थापित थे। जून, 2015 से सदस्य, विशेष जाँच दल, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची में कार्यरत थे। सेवानिवृत्ति के पश्चात् दिनांक-02.05.2016 से झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के माननीय सदस्य के रूप में कार्यरत हैं।

******

वर्ष 2016-17 में झारखण्ड लोक सेवा आयोग में कार्यरत रहे अधिकारियों का विवरण :-

क्र0सं0	नाम	पदनाम	अभ्युक्ति
01	श्री मनोज कुमार झा	सचिव	स्थानांतरित श्री जगजीत सिंह नए सचिव के रूप में पदस्थापित हुए।
02	श्री विवेक नारायण अखौरी	परीक्षा नियंत्रक	
03	श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा	उप सचिव	
04	श्री राजू रंजन राय	उप सचिव	
05	श्री प्रेम रंजन	अवर सचिव-सह उप परीक्षा नियंत्रक	
06	श्री छत्रबली दास	अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	
07	मो0 जियाउल अंसारी	अवर सचिव-सह-उप परीक्षा नियंत्रक	
08	श्री अश्विनी कुमार लाल दास	अवर सचिव	

******

आयोग के पत्रांक–1988 दिनांक–18.08.2015 द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त पदों के सृजन की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है :–

क्र0 सं0	प्रस्तावित पद का नाम जिनकी स्वीकृति दी जानी है	वर्तमान स्वीकृत बल	प्रस्तावित अतिरिक्त बल जिनकी स्वीकृति पर प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा विचार किया जाना है
1	उपसचिव	02	01
2	उप परीक्षा नियंत्रक	02	02 (अवर सचिव स्तर)
3	अवर सचिव	03	04
4	प्रशाखा पदा0	10	12
5	सचिव के आप्त सचिव	00	01
6	सहायक	20	23
7	दिनचर्या लिपिक	12	05
8	टंकक/कम्प्यूटर ऑपरेटर	11	10
9	अभिलेखवाह सह–दफ्तरी	02	04
10	चालक	06	02
11	आदेशपाल	19	11
12	रात्रि प्रहरी	01	01
		कुल	**76 (अतिरिक्त पद)**

परिशिष्ट-II

आयोग सचिवालय में कार्यरत पदाधिकारियों की अद्यतन् स्थिति (दिनांक-31.03.2017 के अनुसार)

क्र0 सं0	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की सं०	कार्यरत पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1	सचिव (भा0प्र0से0 / रा0प्र0से0) (अपर सचिव / संयुक्त सचिव)	01	01	00	श्री जगजीत सिंह	
2	परीक्षा नियंत्रक (संयुक्त सचिव स्तर) (रा0प्र0से0)	01	01	00	श्री विवेक नारायण अखौरी	
3	उप सचिव (रा0प्र0से0)	02	02	00	1. श्री राजू रंजन राय 2. श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा	
4	विधि पदाधिकारी (उप सचिव स्तर)	01	00	01		
5	उप परीक्षा नियंत्रक (अवर सचिव स्तर)	02	02	00	1. श्री प्रेम रंजन 2. मो0 जियाउल अंसारी	
6	विशेष कार्य पदाधिकारी	00	00	00		
7	अवर सचिव	03	02	01	1. श्री अश्विनी कुमार लाल दास	-----
					2. श्री छत्रबली दास	-----
8	प्रशाखा पदाधिकारी	10	03	07	1. श्री अरविन्द कुमार झा	सेवानिवृत्त, संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।
					2. श्री दयानन्द कुमार	----
					3. श्रीमती कावेरी घोष	सेवानिवृत्त, संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।
9	प्रोटोकोल पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी स्तर)	01	00	01	----	----
10	प्रोग्रामर सह डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर	01	00	01	----	----
11	बजट सह लेखा पदाधिकारी	01	01 (संविदा)	00	श्री शशि कांत प्रसाद (संविदा)	सेवानिवृत्त, बजट सह लेखा पदाधिकारी के एक रिक्त पद के विरूद्ध संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता मद से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।
12	अध्यक्ष के आप्त सचिव (रा0प्र0से0)	01	00	01		

परिशिष्ट-III

आयोग कार्यालय में कार्यरत कर्मियों की अद्यतन स्थिति
(दिनांक-31.03.2017 के अनुसार)

क्र0 सं0	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की सं०	कार्यरत कर्मचारी	अभ्युक्ति
1	सहायक	20	18	02	श्री आशुतोष कुमार राय	
					श्री देवानन्द जी चौधरी	
					श्रीमती नीलम कुमारी	
					श्री मुकेश रजक	
					श्री भूपेन्द्र कुमार अनुराग	
					श्री पंकज कुमार	
					सुश्री राधा रानी हाँसदा	
					श्री मनोज तिर्की	
					श्री कुमार सत्यप्रिय	
					श्री संजीव कुमार महतो	
					श्री शैलेश कुमार	
					श्री फणिश्वर रजवार	
					श्री दीपक कुमार	
					श्री जकीउर रहमान	
					श्री अजय कुमार	
					श्री अनिल कुमार चौधरी	
					श्री रविन्द्र टोप्पो	
					श्री देवेन चन्द्र माँझी	
2	वरीय निजी सहायक	04	00	04	–	

3	निजी सहायक	16	14 (13 नियमित + 01 संविदा)	02	श्रीमती अंजु प्रियदर्शिनी	
					श्री मनोरंजन कुमार	
					श्री विष्णु कुमार जायसवाल	
					मो0 कैश आजम	
					श्री उत्तम कुमार विश्वास	
					श्री सोनू कुमार	
					श्रीमती मीना कुमारी	
					सुश्री रीना कुमारी	
					श्री बसंत कुमार राम	
					श्री ब्रज कुमार राम	
					श्री अनवर अंसारी	
					श्री संजीव कुमार प्रसाद	
					श्री अरूण कुमार	
					श्री शशि भूषण सामंत	संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता से वेतनादि प्रप्त कर रहे हैं।
4	विधि सहायक	02	00	02	–	
5	उच्च वर्गीय लिपिक	05	00	05	–	
6	निम्न वर्गीय लिपिक	07	00	07	–	
7	टंकक	11	01	10	श्री शंकर प्रसाद	संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।
8	दिनचर्या लिपिक	12	00	12		
9	चालक	02 नियमित +04 बाह्य स्रोत से	02 (संविदा) 01 बाह्य स्रोत से	03	1. श्री श्याम मुण्डा	संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।
					2. श्री मन्नु लाल मण्डल	
					3. श्री मुन्ना शर्मा (बाह्य स्रोत से)	
10	ट्रेजरी सरकार	02	01	01	श्री सुरेश कुमार नायक	संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।

11	लेखापाल	01	00	01	श्री राम देव दास	सेवानिवृत्त, लेखापाल के एक रिक्त पद के विरुद्ध संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता मद से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।
12	रोकड़पाल	01	01	00	श्री संतोष कुमार भगत	
13	दफ्तरी सह अभिलेखवाह	02	01	01	श्री सुख विलास उराँव	संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।
14	आदेशपाल (संविदा पर स्वीकृत)	19	12	07	1. श्री मुन्ना राम 2. श्री राजू एक्का 3. श्री मनोज कुमार 4. श्री अजित कुमार प्रजापति 5. श्री विजय कुमार 6. श्री नटवर राय 7. श्री लक्ष्मण विन्द 8. श्री अरविन्द कुशवाहा 9. श्री सलीम मोहम्मद जहाँगीर 10. श्री अमित कुमार 11. श्री महावीर साहु 12. श्रीमती बसन्ती देवी	संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।
15	रात्रि प्रहरी (संविदा पर स्वीकृत)	03	02	01	श्री प्रभु महतो श्री धर्मनाथ सिंह	संविदा पर कार्यरत, संविदा भत्ता से वेतनादि प्राप्त कर रहे हैं।
16	कम्प्यूटर प्रोग्रामर (संविदा पर स्वीकृत)	01	01	00	श्री सत्यानन्द सिंह	NICSI से बाह्य स्त्रोत पर कार्यरत।
17	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर (संविदा पर स्वीकृत)	06	00(बाह्य स्रोत से)	06		
18	कम्प्यूटर डाटा इन्ट्री सहायक ग्रेड–1 (संविदा पर स्वीकृत)	34	08 (बाह्य स्रोत से)	26		जैप आई0टी0 से बाह्य स्रोत से कार्यरत संविदा भत्ता से वेतनादि का भुगतान।

******

झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची–834001

Setu Printers, 6202910205 / 06
Security Printing Press